न्यायालय–जनपद न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी।

उपस्थित : शिव कुमार सिंह.....................एच.जे.एस.

JO Code No-UP5743

प्रकीर्ण दीवानी अपील संख्या–44 / 2025

कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या–49 / 2025

वासिफ अली उम्र 40 वर्ष पुत्र मो0 अली, निवासी मो0–देवीस्थान, कस्बा मोहम्मदी, परगना–मोहम्मदी, जिला–खीरी।

––––––––––––––अपीलार्थी / प्रतिवादी

बनाम

वसीयन बेगम आयु 70 वर्ष पत्नी वसीम खॉ, निवासी मो0–देवीस्थान, कस्बा–मोहम्मदी, परगना–मोहम्मदी, जिला–खीरी।

––––––––––––उत्तरदात्री / वादिनी।

निर्णय

1– अपीलार्थी / प्रतिवादी वासिफ अली द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील प्रा0 दीवानी वाद संख्या 04 / 2025 वसीयन बेगम बनाम वासिफ अली के मामलें में विद्वान विचारण न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी द्वारा प्रार्थना पत्र 8ग पर पारित आदेश दिनांकित 22.08.2025 के विरूद्व संस्थित की गयी है। जिसके माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 8ग को स्वीकार कर विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी द्वारा 8ग2 प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र आदेश 39 नियम–1 व 2 सपठित धारा–151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत करते हुये अभिकथित किया गया कि विपक्षी भूमि सं0–153 / 1.275 हे0 स्थित ग्राम मोहम्मदी जेड0ए0 परगना व तहसील मोहम्मदी जिला खीरी का बकदर हिस्सा 1 / 5 का मालिक व स्वामी है। प्रतिवादी ने उक्त भूमि की बिक्री की बात वादिनी के लड़के अफसर खॉ व अफजल खां से माह मई 2013 में की थी, तब वादिनी व उसके परिवार के सदस्यों ने आपस में यह तय किया कि उक्त भूमि की खरीद वादिनी के नाम करायी जाये ताकि परिवार में आगे कोई विवाद उत्पन्न न हो। विवादित भूमि की दिनांक 22.05.2013 को बिक्री रसीद लिखे जाने व विपक्षी द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा व दखल दिये जाने के बाद से आज तक वादिनी का विवादित भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जा व दखल है तथा उसमें वादिनी द्वारा लगायी व बोई गई केला व गेंहू की फसल खड़ी है। विवादित भूमि पर खड़ी

फसल पर उसकी नीयत खराब हो गयी है और वह अब बैनामा भी नहीं करना चाहता है। इसी कारण वह अपने साथियों की मदद से विवादित भूमि पर लगी केला के फसल काट कर कब्जा कर लेना चाहता है, जिसका उसने दिनांक 01.01.2025 को असफल प्रयास किया। वादिनी के घर वालों के हस्तक्षेप व विरोध के कारण वह अपने दूषित मंतव्य में सफल न हो सका, लेकिन वह भविष्य में विवादित भूमि पर कब्जा करने की धमकी देकर चला गया। प्रतिवादी हेकड़ सरकस व गिरोहबंद व्यक्ति है तथा उसे क्षेत्रीय असमाजिक तत्वों का सहयोग प्राप्त होने के साथ साथ स्थानीय राजनैतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण वह विवादित भूमि पर लगाई गई केला की फसल को काट कर व बोई गई फसल को नष्ट कर वादिनी के शांतिपूर्ण कब्जा से जबरिया हस्तक्षेप कर लेगा तो वादिनी को अपरिमार्जनीय क्षति होगी। वादिनी का प्रथम दृष्टया वाद सिद्ध है तथा सुविधा का संतुलन बहक वादिनी विरूद्ध प्रतिवादी है। उपरोक्त कथनों के आधार पर वादिनी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रतिवादी को दौरान मुकदमा विवादित भूमि पर वादिनी के शांतिपूर्ण कब्जा व दखल में हस्तक्षेप करने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा निषेधित करने की कृपा की जाये।

3— प्रतिवादी की ओर से आपत्ति 18ग2 मय शपथ पत्र 19ग2 प्रस्तुत करते हुये अभिकथित किया गया कि वादिनी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सर्वथा असत्य, भ्रामक, बलहीन, निराधार, फर्जी, मनगढ़न्त व काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है। प्रतिवादी भूमि गाटा सं0—153/1.275 हे0 स्थित ग्राम मोहम्मदी जेड0ए0 का बतौर सहखातेदार मालिक, काबिज स्वामी है। प्रतिवादी ने वादिनी के पुत्रों के साथ अपनी भूमि विक्रय करने का कभी कोई सौदा, अनुबन्ध नहीं किया और न ही इस हेतु वादिनी से कोई धनराशि प्राप्त की। प्रतिवादी का अपनी भूमि पर पूर्वजों के समय से शांतिपूर्ण कब्जा व दखल है जिसमें प्रतिवादी अपनी फसले बोता व काटता चला आ रहा है। प्रतिवादी ने वादिनी के हक में भूमि गाटा संख्या—153/1.275 हे0 में अपने अंश की कोई लिखा पढ़ी या विक्रय रसीद नहीं लिखी और न ही कभी वादिनी से कोई धनराशि ही प्राप्त की। वादिनी एवं उसके पुत्रों ने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम एप से प्रतिवादी की फोटो डाउनलोड कर फर्जी फोटो बनाकर तथाकथित विक्रय पत्र रसीद दिनांकित 22.05.2013 पर लगाई है, जो फोटो प्रतिवादी के मित्र के आई

फोन से दिनांक 04.05.2022 को खींची गई ग्रुप फोटो को एडजस्ट करके फर्जी बनाकर लगाई गई है। चूंकि आई फोन में फोटो खींचने का दिनांक भी प्रदर्शित होता है, इसलिये प्रतिवादी उक्त ग्रुप फोटो का डिटेल्स भी प्रस्तुत कर रहा है। यही ग्रुप फोटो प्रतिवादी के एक मित्र द्वारा इंस्टाग्राम एप पर दिनांक 04.05.2022 को शेयर की गई है। प्रतिवादी के हस्ताक्षर भी विक्रय रसीद दिनांकित 22.05.2013 पर फर्जी बनाये गये है। प्रतिवादी तथाकथित स्टाम्प विक्रेता, टाइपिस्ट, नोटरी एडवोकेट तथा गवाहों को नहीं जानता है। तथाकथित विक्रय रसीद जाली, फर्जी, कूटरचित है। फर्जी, अपंजीकृत, कूटरचित विक्रय रसीद दिनांकित 22.05.2013 में उल्लिखित की गई तथाकथित धनराशि मु0—4,75,000/—रूपये प्रतिवादी ने कभी प्राप्त नहीं किये और न ही इस धनराशि के लेनदेन संबंधी कोई वर्णन विक्रय रसीद में किया गया है। वास्तविकता यह है कि भूमि गाटा संख्या—153/1.275 हे0 स्थित ग्राम मोहम्मदी जेड0 ए0 में वादिनी, प्रतिवादी एवं प्रतिवादी का भाई आसिफ अली सहखातेदार है। प्रतिवादी एवं उसके भाई आसिफ अली की भूमि वाहमी बंटवारा अनुसार मोहम्मदी—पुवायां राजमार्ग एवं मोहम्मदी बिचपरी मार्ग के कोने में स्थित बेशकीमती भूमि है। वादिनी व उसके पुत्रों की नीयत प्रतिवादी एवं उसके भाई की भूमि पर खराब हो गयी है और वे येन—केन—प्रकारेण प्रतिवादी एवं उसके भाई की भूमि को हड़पने को प्रयासरत हो गये है। वादिनी ने दूषित मंतव्य की पूर्ति हेतु फर्जी विक्रय रसीद की कूटरचना कराकर उक्त वाद प्रतिवादी को हैरान, परेशान व प्रताड़ित के आशय से संस्थित किया है। वादिनी का कोई कब्जा, दखल, वास्ता व सरोकार प्रतिवादी की दर्ज कागजात पुश्तैनी भूमि पर नहीं है और न ही कभी रहा है। इसलिये वादिनी निषेधाज्ञा संबंधी अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। वादिनी का वाद प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं है तथा सुविधा का संतुलन भी वादिनी के पक्ष में न होकर प्रतिवादी के पक्ष में है। यदि दौरान वाद अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया तो प्रतिवादी को अपरिमार्जनीय क्षति होगी। प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त आधारों पर प्रार्थना पत्र अं0आदेश—39 नियम—1 व 2 सहपठित धारा—151 सी0पी0सी0 निरस्त करने का निवेदन किया गया।

4— वादिनी की ओर से आपत्ति के विरूद्ध प्रतिआपत्ति कागज संख्या—28ग1 प्रस्तुत कर आपत्ति के कथनों से इन्कार किया गया तथा

कथन किया कि वादिनी को उक्त कोने की भूमि सं0–153/1.275 हे0 जे0ए0 के सहखातेदार से विक्रय पत्र द्वारा प्राप्त हुई है, जिस पर वादिनी का गोदाम बना हुआ है तथा जुज भाग पर गन्ना कोल्हू लगा है, जिस पर उसका शांतिपूर्ण कब्जा व दखल है। प्रतिवादी ने विवादित भूमि पर अपना कब्जा दखल नहीं बताया है, क्योंकि वह दिनांक 22.05.2013 को को वादग्रस्त भूमि पर विक्रय रसीद लिखकर कब्जा व दखल दे चुका है।

5– वादिनी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 10ग1 से नोटरी प्रमाणित विक्रय रसीद कागज सं0–11ग/1 ता 11ग1/2, उद्धरण खतौनी कागज सं0–12ग1, सूची 15ग1 से मूल रसीद कागज सं0–16क1/1 लगायत 16क1/2 दाखिल किया गया।

6– प्रतिवादी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में सूची 22ग1 से फोटोग्रुप कागज सं0–22ग2/2, फोटोग्रुप कागज सं0–22ग2/3, क्राप फोटो कागज सं0–22ग2/4, उद्धरण खतौनी कागज को दाखिल किया गया।

7– विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनने तथा पत्रावली का परिशीलन करने के उपरान्त आदेश दिनांक 22.08.2025 के द्वारा प्रार्थना पत्र 8ग2 का निस्तारण कर उभयपक्षों को विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया।

8– प्रार्थना पत्र 8ग2 पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.08.2025 से क्षुब्ध होकर प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रकीर्ण सिविल अपील संस्थित की गयी है।

9– अपीलार्थी द्वारा आधार अपील में यह अभिकथित किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.08.2025 विधि सम्मत् नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय ने विवादित भूमि का अपीलार्थी व रेस्पान्डेन्ट सहखातेदार है, सहखातेदार होने के कारण वादिनी के कथन को सत्य मानकर आदेश पारित कर त्रुटि की है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कूटरचित एवं फर्जी विक्रय रसीद दिनांकित 22.05.2013 को मानते हुये आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध तथा कानूनी प्रक्रियाओं के विरूद्ध है। विद्वान विचारण न्यायालय ने स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश विवादित भूमि का कमीशन कराये बगैर पारित कर त्रुटि की है। विद्वान विचारण

न्यायालय द्वारा वादिनी का प्रथम दृष्टया वाद मानते हुये तथा सुविधा का संतुलन एवं क्षति मानते हुये सरसरी तौर पर आदेश पारित किया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादिनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन न करके मनमाने ढंग से आदेश पारित कर त्रुटि की है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि विरूद्ध एवं कानूनी प्रक्रियाओं के विपरीत है। विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करते समय न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग न करके तथा कानूनी प्रक्रियाओं को अनदेखा कर आदेश पारित किया है। उपरोक्त कथनों के आधार पर अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.08.2025 को निरस्त करने का निवेदन किया गया।

10— उत्तरदात्री के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप है तथा विधिक है। विद्वान विचारण न्यायालय ने वादिनी के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सतुंलन, अपूर्णनीय क्षति का होना पाते हुये आदेश पारित किया है। अतः प्रकीर्ण सिविल अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

11— अपीलार्थी न्यायालय उपस्थित नहीं आया। अपीलार्थी विगत कई तिथियों से न्यायालय उपस्थित नहीं आया। अपीलार्थी को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। विपक्षी उपस्थित है। मैंने विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

12— अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के लिये यह सिद्व करना आवश्यक है कि वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सतुंलन है और यदि अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान न किया गया तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

प्रथम दृष्टया केस सिद्व करने का मानक यह है कि वादी को इस स्तर पर न्यायालय को यह सन्तुष्ट करना होता है कि उसका कथन युक्तियुक्त है तथा उसके अभिवचनों के आधार पर वाद के आज्ञप्त होने की अधिकाधिक संभावना है। उपरोक्त तत्वों को विचार में रखते हुये पत्रावली का अवलोकन किया गया।

13— वादिनी द्वारा अभिकथित किया गया कि विवादित भूमि गाटा संख्या—153 / 1.275 हे0 स्थित ग्राम मोहम्मदी जेड0ए0 परगना व तहसील

मोहम्मदी जिला खीरी के 1/15 वें हिस्से का मालिक, स्वामी प्रतिवादी है। प्रतिवादी ने अपने अंश की भूमि को वादिनी को मु0–10,00,000/–रूपये में विक्रय करने हेतु दिनांक 22.05.2013 को अग्रिम प्रतिफल धनराशि मु0–4,75,000/–रूपये प्राप्त कर विक्रय रसीद लिखी तब से वादिनी का विवादित भूमि पर शान्तिपूर्ण कब्जा व अध्यासन है तथा वर्तमान उसकी बोई फसल केला व गेंहू खड़ी है। वादिनी का प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध है।

इसके विपरीत प्रतिवादी द्वारा यह अभिकथित किया गया कि प्रतिवादी भूमि गाटा सं0–153/1.275 हे0 ग्राम मोहम्मदी जेड0ए0 परगना व तहसील मोहम्मदी का सहखातेदार है। प्रतिवादी ने वादिनी से कभी भी अपनी भूमि को विक्रय करने का कोई अनुबन्ध वादिनी से नहीं किया है। प्रतिवादी की भूमि मोहम्मदी–पुवांया राजमार्ग व मोहम्मदी बिचपरी मार्ग के कोने पर स्थित बेशकीमती भूमि है, जिस पर उसका पूर्वजों के समय से कब्जा व दखल है। विक्रय रसीद दिनांकित 22.05.2013 पूर्णतया अपंजीकृत व कूटरचित है। प्रतिवादी ने वादिनी से तथाकथित धनराशि मु0–4,75,000/–रूपये प्राप्त नहीं की है। गाटा सं0–153/1.275 ग्राम मोहम्मद जेड0 ए0 परगना व तहसील मोहम्मदी में वादिनी, प्रतिवादी व प्रतिवादी का भाई वासिफ अली सहखातेदार है।

विद्वान विचारण न्यायालय की तलविदा पत्रावली पर रसीद कागज सं0–11ग1 संलग्न है, जिसके अवलोकन से विदित है कि उक्त विलेख एक अपंजीकृत विलेख है। कागज सं0–12ग1 उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1429–1434 में गाटा संख्या–153 रकबा 1.2750 हे0 पर खातेदार के रूप में आसिफ अली, वसीयन बेगम पत्नी वसीम खॉ, वासिफ अली के नाम अंकित है। उक्त उद्धरण खतौनी में अंकित गाटा संख्या–153 रकबा 1.2750 हे0 के 1/6 वें हिस्से रकबा 0.2130 हे0 पर प्रतिवादी वासिफ अली का नाम दर्ज कागजात है तथा 1/3 हिस्से रकबा 0.4250 हे0 पर वादिनी का नाम दर्ज कागजात है। उद्धरण खसरा में गाटा सं0–153 रकबा 1.275 हे0 पर खातेदार के रूप में श्रीमती वसीयन बेगम, वासिफ अली, वसीयन बेगम, आसिफ अली का नाम दर्ज है। तलविदा पत्रावली पर संलग्न कागज सं0–29ग1/1 वाद संख्या–9063/2023 वासिफ अली आदि बनाम श्रीमती वसीयन बेगम आदि में पारित आदेश दिनांकित 02.05.2024 की प्रमाणित प्रति संलग्न है, जिसके अवलोकन से विदित है कि उक्त वाद प्रतिवादी द्वारा

धारा–116 अधिनियम, उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 गाटा सं0–153 के विभाजन हेतु संस्थित किया गया है। राजस्व न्यायालय का गाटा सं0–153 के बंटवारे के सम्बन्ध में पारित कोई निर्णय पत्रावली पर संलग्न नहीं पाया जाता है।

14. उपरोक्त समस्त विवेचन से यह विदित है कि निर्विवादित रूप से उभयपक्ष गाटा संख्या–153 के सहखातेदार है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा गाटा संख्या–153 रकबा 1.275हे0 का सहखातेदारों के मध्य भूमि के बंटवारे के सम्बन्ध में संस्थित वाद संख्या–9063/2023 में कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। राजस्व न्यायालय द्वारा उक्त वाद में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है। बंटवारे के सम्बन्ध में वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सहखातेदारों के अपने–अपने हिस्से की भूमि की कोई स्पष्ट चौहद्दी न तो राजस्व अभिलेखों में दर्शित है न ही विक्रय रसीद में विवादित भूमि की कोई चौहद्दी अंकित की गयी है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि अविभाजित भूमि के प्रत्येक अंश पर सहखातेदार का स्वामित्व व अधिकार होता है, उस दशा में विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाये रखने का विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत् है। जहॉ तक प्रतिवादी द्वारा अपने अंश की भूमि वादिनी के पक्ष में विक्रय करने का सौदा करने व उसके सम्बन्ध में विक्रय विलेख लिखने का प्रश्न है। उक्त विक्रय विलेख एक अपंजीकृत विलेख है और प्रस्तुत वाद वादिनी द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में संस्थित किया गया है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि सहखातेदार अपने–अपने अंशों पर काबिज व दखील है। वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में विवादित भूमि को अक्षर अ,ब,स,द से दर्शित किया गया है वादिनी द्वारा विक्रय करार की तिथि से विवादित भूमि पर अपना कब्जा व दखल होना बताया है, जबकि प्रतिवादी द्वारा ऐसे किसी करार से इन्कार किया गया है और उसे फर्जी होना कहा है। अपने हिस्सों के बंटवारे का वाद सक्षम न्यायालय में लंबित है। उपरोक्त समस्त परिस्थितयों मे विवादित भूमि की सुरक्षा व संरक्षा हेतु विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाये रखने का विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 8ग2 पर पारित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप व विधि सम्मत् है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार प्रार्थना पत्र 8ग2 पर पारित आदेश पुष्ट कर

प्रकीर्ण सिविल अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील निरस्त की जाती है।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मूलवाद संख्या–04/2025 वसीयन बेगम बनाम वासिफ अली में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 8ग2 पर पारित आदेश दिनांकित 22.08.2025 पुष्ट किया जाता है। रेस्पान्डेन्ट की आयु को देखते हुये विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे वाद का निस्तारण यथाशीघ्र करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति के साथ मूल पत्रावली अवर न्यायालय प्रेषित की जाये। पक्षकार अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो।

(शिव कुमार सिंह)
दिनांक : 24.07.2026 जनपद न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

(शिव कुमार सिंह)
दिनांक : 24.07.2026 जनपद न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.25 10:33:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court